राजस्थान सरकार

उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेडा जिला–भीलवाडा

अधिकारी :– बन्शी धर योगी आर0ए0एस0

ख्या :– 142/2024 फु0क

सत्यनारायण पु0 कैलाश नायक नि0 गोविन्दपुरा – तह0 करेड़ा – का0

बनाम

कान्हा S/o प्रभु नायक नि0 गोविन्दपुरा – तह0 करेड़ा – का0
सथाणिया ...

विपक्षीगण.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0भू0रा0अधि0 1956

:: आदेश :: **दिनांक** 18/6/24

र्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0भू0राज0अधि0 1956 के तहत प्रस्तुत न किया कि ग्राम गोविन्दपुरा पटवार हल्का गोविन्दपुरा / चान्देसरा तहसील करेड़ा में उसके खाते / संयुक्त खाता संख्या 337 आराजी नम्बर 775, 856, ... कुलकिता 2 रकबा 0.3920 हैक्टेयर भूमि वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदाविया के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन भी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/ संयुक्त खातें की भूमि की के आदेश प्रदान कराये जावे।

तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 24/5/24 को पंजीबद्व किया जाकर प्रकरण को र्थ से यह बात सिद्व है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एंव कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढी अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा–फैरी देंशा नही है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इनत तथ्यों का देखते क की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश::

र्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम .... गोविन्दपुरा .... पटवार हल्का चान्देसरा .... तहसील करेड़ा में स्थित खाता संख्या री नम्बर .... 775, 856, ... कुलकिता 2 रकबा 0.3920 हैक्टेयर भूमि रफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने हेतु भू– अभिलेख निरीक्षक. .... को 4500/– रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर गिगण मौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौंके व यथास्थिति को बनायें रखते हुये मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल पर पत्थरगढी नही की जावे।

प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपी

Signature Not Verified

Digitally signed by Banshi Dhar Yogi
Date: 2024.06.25 12:48:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा जिला भीलवाड़ा
उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर करेड़ा

:– तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा जिला भीलवाड़ा
उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर करेड़ा